# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने का प्रार्थना पत्र

**निदेशक**
**माध्यमिक शिक्षा**
**राजस्थान–बीकानेर**

रजिस्टर्ड

विषयः– सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

प्रार्थी को सूचना के अधिकार के तहत मन्त्रालयिक कर्मचारियों की वर्तमान में प्रचलित विकट समस्याओं से संबंधित निम्न सूचनाओं की आवश्यकता हैं। आवेदन पत्र के साथ **10/-** रू0 का आई0पी0ओ0 संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं। अतः सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

01. विद्यालयों में कार्यरत मन्त्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के दिन (एक पारी विद्यालय में 8:10 से 2:10 तक एंव 09:05 से 03:45 के समय) विद्यालय में ड्यूटी पर उपस्थित होने पर क्षतिपूर्ति अवकाश दिये जाने के विभागीय/राजकीय प्रावधान एंव नियमों की स्पष्ट जानकारी की नवीनतम सूचना/नियमों की प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
02. विद्यालयों में कार्यरत मन्त्रालयिक कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में आगमन एंव प्रस्थान के लघु हस्ताक्षर मय समय के करना अनिवार्य हैं या कार्यालय के अनुसार एक ही हस्ताक्षर किये जा सकते हैं के स्पष्ट प्रावधान/नियमों की सूचना एंव प्रति उपलब्ध करवाई जावें।

**दिनांकः–**

संलग्नः– आवेदन शुल्क **10/-**

**iPO N.& Date- 40F 869425**

प्रार्थी

नूरबानो

(नूरबानो पत्नी स्व0श्री मुख्तार अली)
पताः टोडा रोड सैयद कल्ब मैदान के पास,मालपुरा
तह0 मालपुरा जिला–टोंक (राज0) 304502
मोबाईल नं. 9414739080

Scanned by CamScanner

REGISTERED

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / साप्र / बी-2 / 4413 / (63) / 14 दिनांक 25-10-2018

नूरबानो
w/o स्व.मुख्यतार अली
टोडा रोड सैयद क्लब मैदान के पास,
मालपुरा जिला-टोंक -304502
मोब:-9414739080

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना के बिंदु संख्या 01 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सलग्न कर प्रेषित है। बिंदु संख्या 02 के संदर्भ में मंत्रालयिक कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में आगमन एवं प्रस्थान के लघु हक्ताक्षर मय समय का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सलग्न उपरोक्तानुसार।

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

# द्वितीय शनिवार के स्थान पर क्षतिपूर्ति अवकाश

क्रमांक : शिविरा/साप्र/9/1249–73 दिनांक 13.01.74

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग

प फ 11 (14) 1-(a) /ग्रुप 2/73 जयपुर दि. 1-12-1973

आज्ञा

राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त राज्य कार्यालयों में माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश रहता है किन्तु विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपयोग इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि इस दिन विद्यालयों में अवकाश नहीं होता अतः राज्य सरकार यह आदेश प्रदान करती है कि राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश स्थान पर प्रत्येक माह एक दिवस की क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे।

यह आज्ञा सामान्य प्रशासन (1) विभाग की सहमति से कि उनकी अन्तर्विभागीय संख्या 410/सा.प्र./क/23 दिनांक 17.11.73 के द्वारा प्राप्त हुई है, प्रचलित की जाती है।

ह.के.एस. गुप्ता
सहायक शासन सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
सहायक निदेशक
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner